



दिनांक 13.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति 262 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जलालाबाद

- चोरी की घटना का अनावरण
 - 11 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 04 कुन्तल डॉग कण्डक्टर, 02 कुन्तल रैबिट कण्डक्टर (बिजली का तार)
 - 02 लाख रूपये नगद
- 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस
 - 08 मोबाइल फोन
- 01 दो पहिया, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 13.05.2026 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाल धर्मकाटा ग्राम हीरानगर के पास से 11 अभियुक्तों 1-रंजीत 2-राहुल 3-देवांश उर्फ गोलू 4-नसरुद्दीन शाह 5-अब्दुल रहीम 6-विनीश उर्फ गुलजार 7-विपिन उर्फ नन्हे 8-संजीव कुमार उर्फ मुंशी 9-रचित उर्फ देवा 10-पंकज 11-रोहित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 कुन्तल डॉग कण्डक्टर, 02 कुन्तल रैबिट कण्डक्टर (बिजली का तार), 02 लाख रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 08 मोबाइल फोन, 01 दो पहिया, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04/05.05.2026 की रात्रि थाना जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रंजीत के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी,

धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त देवांश उर्फ गोलू, नसरुद्दीन शाह, अब्दुल रहीम, विनीश उर्फ गुलजार, विपिन उर्फ नन्हे, संजीव कुमार उर्फ मुंशी व रोहित के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के जलालाबाद थाने में लूट, चोरी आदि के 03-03 अभियोग, अभियुक्त रचित उर्फ देवा के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त पंकज के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रंजीत निवासी ग्राम अकाखेड़ा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
- 2-राहुल निवासी मोहल्ला जमदग्निनगर, कस्बा व थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
- 3-देवांश उर्फ गोलू निवासी मोहल्ला जमदग्निनगर, कस्बा व थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
- 4-नसरुद्दीन शाह निवासी ग्राम अभयपुर, थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली।
- 5-अब्दुल रहीम निवासी काजी टोला, पुराना शहर, थाना बारादरी, जनपद बरेली।
- 6-विनीश उर्फ गुलजार निवासी मोहल्ला गांधीनगर, कस्बा व थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
- 7-विपिन उर्फ नन्हे निवासी मोहल्ला कानूनगोयान, कस्बा व थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
- 8-संजीव कुमार उर्फ मुंशी निवासी सूबेदार कॉलोनी, ग्राम चिनौर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
- 9-रचित उर्फ देवा निवासी सूबेदार कॉलोनी, ग्राम चिनौर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
- 10-पंकज निवासी ग्राम कुंवरपुर बांक, मजरा ठिंगरी, थाना अल्हागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

11—रोहित निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 04 कुन्तल डॉग कण्डक्टर, 02 कुन्तल रैबिट कण्डक्टर (बिजली का तार)।

2—02 लाख रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4—08 मोबाइल फोन।

5—01 दो पहिया, 02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद मैनपुरी / थाना एलाऊ

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 10 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 12.05.2026 को थाना एलाऊ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुसमरा—मैनपुरी रोड पर मधुपुरी तिराहा से अभियुक्त 1—रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 2—शिवम कुमार 3—अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना एलाऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि कुमार निवासी ग्राम बसावनपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।

2—शिवम कुमार निवासी ग्राम बसावनपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।

3—अमित कुमार निवासी ग्राम बसावनपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 665 ग्राम अवैध चरस
 - 01 मोबाइल फोन
 - नेपाली रुपये बरामद

दिनांक 12.05.2026 की रात्रि को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल गोदाम रोड कस्बा रूपईडीहा से अभियुक्त मो० जाबिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 665 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन, नेपाली रुपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मो० जाबिर निवासी वार्ड नं०-03 एकलैनी थाना बड़ा प्रहरी जिला बाके, नेपाल।

बरामदगी

1-लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 665 ग्राम अवैध चरस।

2-01 मोबाइल फोन।

3-नेपाली रुपये।

- जनपद रामपुर/थाना गंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना गंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-अहमद 2-यासीन को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कन्नौज/थाना ठठिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55-55 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना ठठिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-राकेश 2-शीलू को सश्रम आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना जगदीशपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धीरज को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कुर्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त रियाज को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 13.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति 263 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर (बैडमिंटन/टेबल टेनिस) प्रतियोगिता (महिला/पुरुष) 2025-26 का भव्य समापन सम्पन्न

- लगभग 1400 खिलाड़ियों की सहभागिता से सशक्त हुई राष्ट्रीय खेल भावना।
- उत्तर प्रदेश पुलिस में खिलाड़ियों को मिल रहा भर्ती, पदोन्नति एवं प्रोत्साहन का लाभ।
- खेल अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम।

(पुलिस महानिदेशक उ0प्र0)

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर (बैडमिंटन/टेबल टेनिस) प्रतियोगिता (महिला/पुरुष) 2025-26 का भव्य समापन समारोह आज दिनांक 13.05.2026 को मुख्य अतिथि श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

समारोह के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं से आई 42 टीमों के लगभग 1400 खिलाड़ियों, जिनमें लगभग 300 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं, ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन, खेल कौशल एवं संघर्ष भावना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मेडल विजेता ही नहीं, बल्कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी एक चैंपियन है। खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों, समयाभाव एवं चोट जैसी चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कोच, टीम मैनेजर्स एवं संस्था प्रमुखों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर इस मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही दर्शकों एवं आयोजन समिति की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

अपर निदेशक (एसआईबी) श्रीमती विनीता शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस बल के लिए खेल केवल फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा एवं कर्तव्य निर्वहन हेतु आवश्यक मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता एवं अनुशासन का आधार है। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह, समर्पण एवं खेल भावना की सराहना करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई दी।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डा0 रामकृष्ण स्वर्णकार ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में कार्यक्रम में सहभागिता की तथा प्रतियोगिता की तैयारियों के दौरान निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, विभिन्न पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों,

टीम मैनेजरो, खिलाडियो, आयोजन से जुडे समस्त स्टाफ एवं पीएसी बल के कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

प्रतियोगिता में विजेताओं का विवरण-

टेबिल टेनिस मेंस सिंगल

1. बारडी बोरा (असम पुलिस) गोल्ड मेडल
2. सुभ्रत राज वर्मा (यू0पी0पुलिस) सिल्वर मेडल
3. अश्विन (हरियाणा पुलिस) व राहुल चौधरी(यू0पी0पुलिस) ब्रॉज मेडल

टेबिल टेनिस मिक्स डबल

1. अभिषेक सिंह व मिनाक्षी भट्ट(सी0आर0पी0एफ0) - गोल्ड मेडल
2. आर0 के0 बिक्रमजीत सिंह व एस0 असाना (मणिपुर) सिल्वर मेडल
3. सोरोभ व कात्यायनी शर्मा (आई0टी0बी0पी0)- ब्रॉज मेडल

बैडमिंटन प्रतियोगिता वुमेन सिंगल

1. आशी रावत (सी0आई0एस0एफ0)- गोल्ड मेडल
2. प्रसिता पी0(सी0आई0एस0एफ0) सिल्वर मेडल
3. सिमरन चौधरी (उ0प्र0 पुलिस) ब्रॉज मेडल

बैडमिंटन प्रतियोगिता मेन सिंगल

1. भरत राघव (सी0आर0पी0एफ0) गोल्ड मेडल
2. राजन यादव (उ0प्र0 पुलिस) सिल्वर मेडल
3. जुनैद अंसारी (उ0प्र0 पुलिस) -ब्रॉज मेडल

टेबल टेनिस मेन्स चैम्पियन्स ट्राफी

1. उत्तर प्रदेश
2. मणिपुर

टेबल टेनिस वुमेन्स चैम्पियन्स ट्राफी

1. उत्तर प्रदेश
2. मणिपुर

बैडमिन्टन ओवरआल चैम्पियन्स ट्राफी

1. मिजोरम
2. सी0आर0पी0एफ0

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम श्री बिनोद कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश श्री आशुतोष राय, सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 श्री सुहास एल0वाई0, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सचिव/पुलिस महानिरीक्षक डॉ0 प्रीतिंदर सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ अनुभाग लखनऊ श्री किरीट राठौड़, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर अनुभाग कानपुर श्री अतुल शर्मा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।







